तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
15.7.19	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित पेश हुई। वकील पक्षकारानों को मकान डाटा अवशेषकी तलबी हेतु नाथहित से अंतिम अवसर दिया जाता। पत्रावली दिनांक 11.9.19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी
11.9.19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादी द्वारा प्रतिवादी की तलबी पेश नहीं की गई है पुनः लिखित की गई। परन्तु नाथहित नगरपालिका तक भी पेश नहीं करने पाया है। नगरपालिका ने अवसर दिये हैं परन्तु पेश नहीं करने पाया है। इस प्रकार किसी पक्षकार पेशकार के आदेश की परिपालना नहीं करेगी तो अनुचित नहीं है। अतः वादी को इसी स्तर पर आदेश 9 नियम 5 CPC के प्रावधानों के तहत अस्तु तामील है। खारिज किया जाता है। नियमानुसार हर्जा खर्चा दर्ज रजिस्टर किया जाकर हो एक बार तामील डाक टिकट दस्तर हो। उपखण्ड अधिकारी